प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

पत्र संख्या 473 /303-निविदा स्वीकृति/17, दिनांक 26.09.2017

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं. 491 / नियोजन/ निविदा स्वीकृति / 4 दिनांक 31.12.2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत प्रत्येक निविदा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी तथा अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की गयी निविदाओं से जैसाकि उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्देशित है संकलित विवरण पाक्षिक रूप से अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम के समक्ष रखा जायेगा । इसके साथ ही निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में स्वीकृतियों की सूचना अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी, परन्तु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि गत वर्षो से उक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही नहीं की जा रही है । अतः एतद् सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.12.2009 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार,

ह०/-
(जी.पटनायक)
अध्यक्ष

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण/नागर/गंगा /(वि./यां.), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र) उत्तर प्रदेश जल निगम ।
4. निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
5. वित्त अधिकारी, सी. एण्ड डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक/सचिव (प्रशासन/व्यवस्था)/सामग्री प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
7. वित्त विश्लेषक / मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता/ परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
9. वैयक्तिक सहायक (अतकनीकी) लेखा अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
10. गार्ड फाइल ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

वित्त निदेशक

71

ग्राम–जलनिगम

दूरभाष: 2620172, 2620272
फैक्स – 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 491 / नियोजन / निविदा स्वीकृति / 4 दिनांक: 31 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

जल निगम के आदेश संख्या 03/पी–1/कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 05–01–2002 द्वारा रु० 1 करोड़ से अधिक लागत हेतु विभिन्न स्तर पर गठित समिति के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई। जल निगम के ज्ञाप संख्या 326/पी–1/कार्यालय ज्ञाप/07 दिनॉक 02–08–06 द्वारा निदेशक मंडल की 135वीं बैठक में प्राप्त अनुमोदन से प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुये निर्देश जारी किये गये।

निविदा स्वीकृति की उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत निविदा स्वीकृति के सन्दर्भ में निदेशक मडंल की 151वीं बैठक की मद संख्या 151.10 में प्राप्त अनुमोदन एवं सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

अधिकार का प्रकार	पदनाम	परिसीमायें
किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये निविदा स्वीकृत	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम	रु० 500.00 लाख से अधिक एवं रु० 2500.00 लाख की सीमा तक
	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम	रु० 100.00 लाख से अधिक एवं रु० 500.00 लाख की सीमा तक
	अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम	रु० 40 लाख से अधिक एवं रु० 100.00 लाख की सीमा तक

रु० 40.00 लाख की सीमा तक की निविदाओ की स्वीकृति के अधिकार शासन के आदेश संख्या ए–2–1602/दस–95–24 (14)/95 दिनॉक 01 जून, 1995, जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1993/प्र–1/वित्तीय अधिकार/96 दिनॉक 09–08–1996 द्वारा क्षेत्रो को प्रेषित है की भॉति यथावत रहेंगे। इसी प्रकार रु० 25.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदा की स्वीकृति हेतु जल निगम का आदेश संख्या 200/पी–1/कार्यालय ज्ञाप /13 दिनॉक 24–08–2002 यथावत प्रभावी रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत प्रत्येक निविदा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जल को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी तथा अधीक्षण अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कह गई निविदाओ से सम्बन्धित विवरण पाक्षिक रुप से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम के समक्ष रखा जायेगा। निदेशक मडंल की प्रत्येक बैठक में स्वीकृतियों की सूचना अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

2– मुख्य अभियंता, ग्रामीण/नगर/गंगा/अप्रेजल/[illegible]क्षण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

3– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम।

4– समस्त अधीक्षण अभियंता/महाप्रबन्धक/सचिव(प्रशासन)/सामग्री प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम।

5– मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

6– समस्त अधिशासी अभियंता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम।

प्रबन्ध निदेशक